

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु **पत्राचार/दुरस्थ माध्यम** से प्रवेश की अनुमति चाही गई है-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम एवं पद (श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन	पाठ्यक्रम का नाम
1.	मीनू सैनी, सूचना सहायक, (परिवीक्षाधीन)	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-नांगल राजावतान, दौसा	MSc(CS), Ist Year 2025-26 VMOU KOTA
2.	मुनिराज मीना, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन विभाग, बारा-अटरु, बारा	MA- I Year 2026-27 VMOU KOTA
3.	ललितेश कुमारी, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	टैक्निकल कोर ग्रुप, पुलिस: स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर	MSc(CS), Ist Year 2025-26 VMOU KOTA
4.	मनीष कुमार मीणा, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-लालसोट, दौसा	MCA, II Year 2026-27 VIVEKANAND GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
5.	मयंक माहेश्वरी, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नगरपालिका-गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	BLIS, Year 2025-26 IGNOU

अतः उक्त हेतु कार्मिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(अखिलेश मित्तल)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग/कार्यालय.....।
3. संबंधित कार्मिक.....।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

आई. टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
वेबसाइट. <http://www.doitc.rajasthan.gov.in> ई-मेल: - oic.estt@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.:
20793194



Signature valid
Digitally signed by Akhlesh Mittal
Designation: Technical Director
Date: 2026.02.26 15:12:13 IST
Reason: Approved